रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2013/चैत्र 4, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 302
No. 51] DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2013/CHAITRA 4, 1935 [N.C.T.D. No. 302

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2013

सं. 24(6)/2009/विसस-4/विधायी/1984.—दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए उनके सामने दर्शाए गए समितियों के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :—

लोक लेखा समिति

1. श्री नसीब सिंह
2. श्री वीर सिंह धिंगान
3. श्री राजेश जैन
4. श्री देवेन्द्र यादव
5. श्री नन्द किशोर
6. श्री सुमेश शौकीन
7. श्री साहब सिंह चौहान
8. श्री जय भगवान अग्रवाल
9. श्री श्यामलाल गर्ग

प्राक्कलन समिति

1. चौ. मतीन अहमद
2. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
3. श्री नन्द किशोर
4. श्री जसवंत राणा
5. श्री हरिशंकर गुप्ता
6. श्री अरविन्दर सिंह
7. श्री एस.पी. रातावाल
8. श्री सुभाष सचदेवा
9. श्री रविन्द्रनाथ बंसल

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री मालाराम गंगवाल
2. श्री मुकेश शर्मा
3. श्री राजेश लिलोठिया
4. श्री जय किशन
5. श्री सुमेश शौकीन
6. श्री अरविन्दर सिंह
7. श्री नरेश गौड़
8. श्री रमेश बिधूड़ी
9. श्री कुलवंत राणा

पी.एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2013

No. 24(6)/2009/LAS-IV/Leg./1984.—The following Members of Delhi Vidhan Sabha have been elected unopposed to the respective Financial Committee for the financial year 2013-14 as shown below against each :–

1. Public Accounts Committee

(i) Shri Naseeb Singh
(ii) Shri Veer Singh Dhingan
(iii) Shri Rajesh Jain
(iv) Shri Devender Yadav
(v) Shri Nand Kishore
(vi) Shri Sumesh Shokeen
(vii) Shri Sahab Singh Chauhan
(viii) Shri Jai Bhagwan Aggarwal
(ix) Shri Shyam Lal Garg

2. Estimates Committee

(i) Ch. Mateen Ahmed
(ii) Shri Prahlad Singh Sawhney
(iii) Shri Nand Kishore
(iv) Shri Jaswant Rana
(v) Shri Hari Shankar Gupta
(vi) Shri Arvinder Singh
(vii) Shri S.P. Ratawal
(viii) Shri Subhash Sachdeva
(ix) Shri Ravinder Nath Bansal

3. Committee on Government Undertakings

(i) Shri Mala Ram Gangwal
(ii) Shri Mukesh Sharma
(iii) Shri Rajesh Lilothia
(iv) Shri Jai Kishan
(v) Shri Sumesh Shokeen
(vi) Shri Arvinder Singh
(vii) Shri Naresh Gaur
(viii) Shri Ramesh Bidhuri
(ix) Shri Kulwant Rana

P.N. MISHRA, Secy.

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2013

सं. डीई15(206)/अधि./2013/7902-7916.—नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम 35) की धारा 38 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क सीटें) आदेश, 2011 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बना रहे हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन नियमों को दिल्ली नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम (संशोधित) नियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. दिल्ली नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम, 2011, (अब के बाद "प्रधान नियम" से जाना जाएगा) के खण्ड (ब) उप नियम (1), नियम (2) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(बब) समुचित प्राधिकारी का अर्थ समुचित प्राधिकारी जैसाकि दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 में परिभाषित हैं।"

3. प्रमुख नियमों में, नियम 14 के उप–नियम 5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(5) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी विद्यालय के अतिरिक्त गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय मान्यता के लिए अर्हता के उद्देश्य से उपनियम (1) एवम् अनिवार्यता प्रपत्र के अलावा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों एवम् इसके अधीन बने नियम/आदेश/दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। ऐसे विद्यालय शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रपत्र–1 (ख) में मान्यता हेतु आवेदन करेंगे। मानकों, मानदंडों एवं शर्तो के अनुरूप पाए विद्यालयों को प्रपत्र–2 में समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी। यदि आवेदन को रद्द किया जाता है, तो आवेदक को समुचित प्राधिकार द्वारा आवेदन रद्द करने का कारण बताया जाएगा।"

4. प्रमुख नियमों में, नियम 14 के उप–नियम 5 के बाद निम्नलिखित उप नियमों को जोड़ा जाए:–

"(6) अधिनियम के लागू होने के पूर्व स्थापित, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी विद्यालय के अतिरिक्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय मान्यता के लिए अर्हता के उद्देश्य से उपनियम (1) एवम् अनिवार्यता प्रपत्र के अलावा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों एवम् इसके अधीन बने नियम/आदेश/दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। ऐसे विद्यालय शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रपत्र–1 (ग) में मान्यता हेतु आवेदन करेंगे। मानकों, मानदंडों एवं शर्तो के अनुरूप पाए विद्यालयों को प्रपत्र–2 में समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी। यदि आवेदन को रद्द किया जाता है, तो आवेदक को समुचित प्राधिकार द्वारा आवेदन रद्द करने का कारण बताया जाएगा।

(7) ऐसे विद्यालय जो कि उपनियम (6) में वर्णित किये गये है चाहे वह किसी भी समुचित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, वे भी शिक्षा विभाग के वेब साईट पर ऑनलाइन फार्म भरेंगे और उसकी वास्तविक/हॉर्ड कॉपी शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति भेजेगें।

बशर्ते कि ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन फार्म भरेंगें, उन्हें निदेशक, शिक्षा दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें प्रपत्र–2क में प्रपत्र जारी किये जायेंगे, जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे या जबतक कि समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई उलट आदेश पास न किया जाए।

बशर्त आगे है कि प्रपत्र–2क किसी भूमि मामलों से संबंधित कानून के किसी प्रावधान के तहत किसी भी अवैधता को मान्यता प्रदान नहीं करेगा और ऐसे किसी भी अवैधता कि स्थिति में प्रपत्र–2क में जारी प्रमाण पत्र प्रारंभिक प्रभाव से शून्य होगा।

(8) उपनियम (7) में वर्णित आवेदन के प्राप्त होने के दो महीने के भीतर, समूचित प्राधिकारी निर्धारित स्कूल का मानदंडों और मानकों जो कि उपनियम (1) में कहें

गये है, के अनुरूप करने के दावे की पुष्टि करने के लिए निरिक्षण करेगा तथा एक प्रमाण पत्र प्रपत्र–2 में प्रदान करेगा।

(9) जिन स्कूलों को उपरोक्त प्रपत्र–2 अथवा प्रपत्र–2क में प्रमाण पत्र प्रदान किये गये है वे उस प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों व दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश व दिशा निर्देश अनिवार्यता प्रमाण पत्र की शर्तों को छोड़ कर, एक साल के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो कि अधिसूचित की गई हो, पूरा करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप–राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2013

No. DE. 15(206)/ACT/2013/7902-7916—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act 35 of 2009), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely :–

1. Short title and commencement :- (1) These rules shall be called the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, (hereinafter referred to as the "principal Rules", in rule 2, in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

"(bb) Appropriate Authority means the appropriate authority as defined in Delhi School Education Act 1973."

3. In the principal rules, in rule 14, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted:-

"(5) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Government or local authority, established

after the commencement of the Act in order to qualify for recognition, shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) and the norms and conditions laid down in Delhi School Education Act, 1973 and rules/orders/instructions issued there under except for the condition of grant of essentiality certificate. Such school shall apply for recognition in Form 1(B) to the appropriate authority or any other officer authorised by the appropriate authority. The schools found to be conforming to the norms, standard and the condition in sub-rule (1) shall be granted recognition by appropriate authority in Form-II. In case the application is rejected, the reasons thereof shall be intimated by the appropriate authority to the applicant.

4. In the principal Rules, in rule 14, after sub-rule (5), following sub-rules shall be inserted:-

"(6) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Government or local authority, existing on the commencement of the Act and which is unrecognised in order to qualify for recognition, shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) and the norms and conditions laid down in the Delhi School Education Act, 1973 and rules/orders/instructions issued there under except for the condition of grant of essentiality certificate. Such schools shall apply for recognition in Form 1(C) to the appropriate authority or any other officer authorised by the appropriate authority. The schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions in sub-rule (1) shall be granted recognition by appropriate authority in Form-II. In case the application is rejected, the reasons thereof shall be intimated by the appropriate authority to the applicant.

(7) Such unrecognised school mentioned in sub-rule (6), irrespective of the appropriate authority under whose jurisdiction they come, shall also apply online on the website of the Directorate of Education and submit hard copy to the Director or officer authorised by him, who shall forward the same to the appropriate authority for inspection and grant of recognition in Form-II.

Provided that all such schools who apply online shall be issued a certificate in Form-IIA by the Director of Education, GNCT of Delhi, which shall be valid for a period of one year or till the order to the contrary is passed by the appropriate authority, whichever is earlier:

Provided further that such certificate in Form-IIA shall not validate any illegality under any provisions of law related to land matters and in case of any such illegality the certificate shall be *void ab-initio*.

(8) Within two months of the receipt of the application mentioned in sub-rule (7), the appropriate authority shall cause an inspection to be made of such school to verify the claim of conforming to the norms and standards laid down in sub-rule (1) and grant a certificate in Form-II.

(9) The schools which are granted certificate in Form II or Form IIA, shall fulfill the conditions laid down in the certificate of recognition and orders/instructions issued under the Delhi School Education Act, 1973 and rules made there under except for the condition of grant of Essentiality Certificate, within a period of one year or such further period as may be notified."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.